(1)

UPKN010066122026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं–08, कानपुर नगर

जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या 2274 / 2026

सानू उम्र लगभग 38 वर्ष पुत्र बन्नी निवासी–इकलाख नगर, कटरी पीपरखेड़ा थाना गंगाघाट उन्नाव (उ0प्र0)। .....प्रार्थी / अभियुक्त

बनाम

उ0प्र0 राज्य सरकार द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी, कानपुर नगर।

.....विपक्षी

मु0अ0सं0–196 / 2026
धारा–317(2),317(5),317(4)BNS,
थाना–नौबस्ता, कानपुर नगर।

10.06.2026

1. यह जमानत प्रार्थनापत्र प्रार्थी / अभियुक्त सानू की ओर से मु0अ0सं0 196 / 2026, धारा–317(2),317(5)317(4) BNS, थाना नौबस्ता, कानपुर नगर में प्रार्थी / अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। जमानत प्रार्थनापत्र के साथ प्रार्थी / अभियुक्त के भाई नदीम का शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त जमानत प्रार्थनापत्र माननीय सत्र न्यायाधीश, कानपुर नगर के आदेशानुसार जरिये अन्तरण प्राप्त हुआ है।

2. प्रस्तुत अभियोग में उ0नि0 सुशील कुमार द्वारा फर्द बरामदगी के आधार पर इस आशय का अभियोग पंजीकृत किया गया कि दिनांक 17.05.2026 को मैं उ0नि० सुशील कुमार मय उ०नि० सागर यादव, उ०नि० अजय कुमार मय हमराह का0 2860 नवीन के थाना हाला से बहवाले रपट नं0 77 समय 20.50 बजे वास्ते देखभाल रोकथाम जुर्म जरायम व चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति एवं चोरी गये वाहन व अभियुक्तगण संबंधित मु0अ0सं0 193 / 26 धारा 303(2) बीएनएस व मु0अ0सं0 194 / 26 धारा 303(2) बीएनएस में रवाना होकर यशोदा नगर चौराहे पर आने जाने बाले बाहनों की चेकिंग में मामूर थे कि तभी मुखबिर खास ने आकर ना दी कि साहब जो स्कूटीए मो०सा० चोरी करने वाले चोर है जो कि अक्सर वाहन चोरी की वारदातों को अन्जाम देते हैं वह अभी दवई नगर की ओर से बिना नम्बर प्लेट की सफेद स्कूटी पर किसी एक और आदमी के साथ बिराटनगर की तरफ आ रहे हैं। यदि न्दी किया जाए तो पकड़े जा सकते हैं। आज जो स्कूटी लिये है

वह भी वही स्कूटी हो सकती है जो के० ब्लाक किदवई नगर से चोरी हुयी है। मुखबिरखास की सूचना पर विश्वास करके मैं उ0नि0 मय हमराहियान के एक दूसरे की जामा तलाशी ले देकर यह श्वास किया कि किसी के भी पास कोई जुर्म से संबंधित कोई वस्तु नहीं है और आने जाने वाले राहगीरों को गवाही हेतु कहा गया तो भी भलाई बुराई के कारण मौके से हटबढ़ गये। तत्पश्चात विराटनगर कट सीओडी नाले के पास खड़े होकर इन्तजार करने लगे तभी बिराटनगर की ओर से एक सफेद स्कूटी पर दो सवार व्यक्ति आते दिखाई दिये कि मुखबिरखास ने सामने से आ रही स्कूटी की ओर शारा कर बताया कि यही वो दोनो व्यक्ति है जो वाहन चोरी करते है और इशारा कर पीछे मुड़कर चला गया कि सामने से आ रही स्कूटी को जब हम पुलिस वालो द्वारा हाथ देकर व टार्च की रोशनी में रुकने का इशारा किया तो स्कूटी को पीछे की ओर मोड़कर लागने का प्रयास किया कि हम पुलिस बालों द्वारा सिखलाए हुये तरीके से घेर घारकर आवश्यक बलं प्रयोग करके भाग रहे व्यक्तियों को पकड़ लिया गया जब भागने का कारण पूछते हुये व नाम पता पूछते हुये व्यक्तिगत जामा तलाशी मेमो तैयार कर पूछा गया तो स्कूटी चालक ने अपना नाम मो० सलीम पुत्र शाहिद अली निवासी म0न0 33 अराजी न0 103 चिश्ती नगर नमक फैक्ट्री सनिगवां रोड़ थाना चकेरी कानपुर नगर उम्र करीब 32 वर्ष बताया जिसकी जामा तलाशी ली गयी तो पहने काले रंग की लोअर की जेब से 3380/– रूपयां बरामद हुआ। दूसरे व्यक्ति का नाम पता पूछते हुये जामा तलाशी ली गयी तो उसने अपना नाम सानू पुत्र बन्नी निवासी इकलाख नगर कटरी पीपरखेड़ा थाना गंगाघाट जनपद उन्नाव उम्र करीब 38 वर्ष बताया जिसकी न्नामा तलाशी से पहने हुये पैण्ट की जेब से 4160/–रूपया बरामद हुआ। मौके पर मौजूद दोनो व्यक्तियों से उक्त स्कूटी के रजिस्ट्रेशन नम्बर के बारे में जानकारी की गयी तो चुप हो गये । स्कूटी के चेचिस नम्बर ME4JC448FB8337244 को ईचालान एप्प पर चेक किया गया तो उक्त स्कूटी का नम्बर UP78CK5846 व वाहन स्वामी वीरेन्द्र कुमार तिवारी पुत्र श्री आन तिवारी पता 128/467 वाई–01 ब्लाक किदवईनगर कानपुर नगर प्राप्त हुआ। जिसके संबंध में मौके पर मौजूद उ0नि0 सागर यादव द्वारा बताया गया कि उक्त स्कूटी संख्या UP78CK5846 के चोरी होने के संबंध में थाना नौबस्ता पर मु0अ0सं0 194/2026 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात चोर पंजीकृत है जिसकी विवेचना मुझ उ0नि0 द्वारा सम्पादित की जा रही है। इसके पश्चात चालक मो० सलीम तथा पीछे बैठे व्यक्ति सानू से कड़ाई से पूछताँछ की गयी व स्कूटी के कागजात मांगे गये दिखाने से

कासिर रहे। कड़ाई से पूछताछ पर चालक सलीम ने बताया कि मुझे माफ कर दो यह स्कूटी मैनें इसी सप्ताह के० ब्लाक किदवई नगर चन्द्रभाल अस्पताल के पास से चुराई थी मैने और भी स्कूटी व मो० सा० चुराई है। मैं इन चुराई हुये वाहनों को यहीं मौके पर मौजूद सानू तथा जाजमऊ के रहने वाले वाजिद को बेंच देता हूँ। आज हम दोनो इस स्कूटी को बेचने की फिराक में थे कि आप लोगों ने पकड़ लिया। उक्त दोनो व्यक्तियों को अवगत कराया गया कि उक्त स्कूटी चोरी के संबंध में थाना नौबस्ता पर मु0अ0सं0 194/2026 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात चोर पंजीकृत है। उक्त व्यक्तियों को उनके अपराध से अवगत कराया गया। उक्त कार्यवाही की वीडियों ई साक्ष्य एप्प पर बनाई गयी जिसका एसआईडी न0 1379616766848222 है। उक्त बरामद स्कूटी को जरिये उचित माध्यम थाना नौबस्ता भिजवाया जा रहा है। पकड़े गये व्यक्तियों से अन्य मो०सा० चोरी के संबंध में कड़ाई से पूछताछ की गयी तो सलीम द्वारा बताया गया कि मो0सा0 UP78CJ4060 व UP78FR7466 पिछले सप्ताह मैने चोरी की थी। मो0सा0 UP78FR7466 के संबंध में बताया कि दिनांक 11.05.2026 को मैंने श्रीराम स्कूल किदवई नगर के गेट से चुराई थी तथा मो0सा0 UP78CJ4060 दिनांक 09.05.2026 को रूद्रा अपार्टमेन्ट, गायत्री स्कूल थाना नौबस्ता कानपुर नगर के पास से चोरी की थी। जिसे बाद में मैने यह मो0सा0 4000/– रूपये प्रति मो०सा० में सानू को बेंच दी थी। जो मेरे से रूपये मिले हैं यह उन्ही में से बचे हुये रूपये है। बाकी रूपये घर के खर्चे में खर्च हो गये हैं। इस संबंध में थाना हाजा से जानकारी की गयी तो पाया गया कि मो0सा0 UP78CJ4060 चोरी होने के संबंध में मु0अ0सं0 192/2026 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात चोर व मो०सा० UP78FR7466 चोरी होने के संबंध में मु0अ0सं0 193/2026 धारा 303 (2) बीएनएस बनाम अज्ञात चोर पंजीकृत है। सानू उपरोक्त से पूछताछ करने पर बताया गया कि मैं चोरी हुयी बाईक के पाट्र्स काटकर घूमने वाले कबाड़ियों को बेंच देता हूं। इसी सप्ताह मुझे सलीम में 02 मो0सा0 पैशन प्रो मुझे दी थी जिसके रूपये 4000/– प्रति मो0सा0 के हिसाब से मैनें सलीम को रूपये दिये थे। मुझे याद है कि काले रंग की पैशन प्रो का नम्बर UP78FR7466 तथा लाल रंग की पैशन प्रो का नम्बर UP78CJ4060 था। जिन्हे मैने खोलकर उनके पाट्र्स फेरी बाले कबाड़ियों को बेंच दिये हैं और मिले हुये रूपयों में कुछ रूपये खर्च हो गये और बाकी के यही बचे हुये रूपये हैं जो मेरे पास से मिले हैं। अभी भी कुछ बाईक के नम्बर प्लेट व पाट्र्स मेरे घर में सन्दूक में रखे हुये हैं यदि आप मौके

पर चलेंगे तो बरामद करा सकता हूँ। सानू उपरोक्त द्वारा बताये गये मो०सा० पाट्र्स की बाउम्मीद बरामदगी मुझ उ०नि० द्वारा उच्चाधिकारीगणों को अवगत कराते हुये उ०नि० कौशल कुमार मिश्र, उ०नि० अंकित खटाना, उ०नि० नागेश कुमार, का0 4444 दीपक शर्मा व का० 4574 मंजीत सिंह को हसबुल तलब किया गया तथा सुरक्षार्थ हेतु थाना मोबाईल को भी बुलाया गया। कुछ समय पश्चात उक्त पुलिस बल व थाना मोबाईल मौके पर उपस्थित आये हैं। मौके पर मौजूद हम पुलिस बल द्वारा एक दूसरे की जामा तलाशी ले देकर यह इत्मिनान किया कि हम पुलिस बालों के पास कोई जुर्म से संबंधित बस्तु नहीं है। मौके पर उपस्थित आये पुलिस बल को मकसद से अवगत कराते हुये बाउम्मीद बरामदगी में उ0नि मय हमराहियान मय थाना मोबाईल के साथ पकड़े गये व्यक्तियों सानू व सलीम उपरोक्त को साथ लेकर उनके बताये हुये रास्ते पर चल दिये कि नौबस्ता रामादेवी हाईवे पर चलकर गंगा नदी पुल पार करते ही सानू उपरोक्त ने दाहिनी ओर रास्ते की तरफ इशारा कर अपने घर का रास्ता बताया कि इसी इकलाख नगर मोहल्ले में मेरा घर स्थित है तथा मेरे घर में किचन में रखे सन्दूक में 02 मो०सा० को काटकर खोलकर पाट्र्स इंजन सहित रखे हुये हैं। व्यक्ति सानू की निशांदेही पर उसके घर पहुंचे तो व्यक्ति सानू ने अपने घर में घुसकर बांई तरफ बनी किचन में रखी सन्दूक खोलकर मो०सा० के खुले हुये पाट्र्स बारी बारी से निकालते हुए एकत्रित किये गये। जिनका बागौर निरीक्षण किया गया तो खुले हुए 02 अवद इंजन में से पहले इंजन का इंजन नं० पिसा हुआ HA10B..... HJ311 प्रदर्शित हो रहा हैं बाकी के अक्षर घिसे हुये है तथा दूसरे इंजन जिसका इंजन न० घिसा हुआ JA06EJG GB13508 हल्का हल्का प्रदर्शित हो रहा है। इसके साथ ही 02 अदद मो0सा0 पेट्रोल टंकी जिस पर मार्का पैशन प्रो० रंग काला तथा ग्लैमर रंग लाल काला अंकित है। कुल 09 अदद मो०सा० नम्बर प्लेट जिनके न० क्रमशः UP78AU8874,UP78CX1900,UP78BC6237,UP78DM1488, UP78CQ9 -----3, UP78BJ2276, UP78AU8874, OD01M2082 तथा एक नम्बर प्लेट के अक्षर प्रदर्शित नही हो रहे हैं तथा 04 अदद पहिया टायर रिम सहित, 04 शाकर राड, 01 दो पहिया वाहन हैण्डिल व अन्य मो०सा० के छोटे छोटे पाट्र्स बरामद हुये हैं। जिसके संबंध में कड़ाई से पूछताछ किया गया तो बताया कि ये सभी गाड़िया सलीम चोरी कर के लाया था जिसे मुझे 4000/– रूपये में मुझे बेचा था जिनको मैने काटा तथा खोला है और इन सभी पाट्र्स को मैं फेरी करने वाले कबाड़ियों को बेच देता हूँ। मेरे द्वारा सभी दो पहिया वाहनों को खोलकर पाट्र्स

बेंच दिये गये है शेष यही बचे हैं जो आप द्वारा बरामद किये गये हैं। उक्त बरामदगी की वीड़ियो ई साक्ष्य एप्प पर बनाई गयी जिसका एसआईडी न० 2846202766874878 समय 23.14 बजे प्राप्त हुआ। बरामद उक्त मो०सा० पाट्र्स को मौके पर सील सर्वमुहर किया गया व नमूना मोहर तैयार किया गया जिसे जरिये उचित माध्यम थाना नौबस्ता भिजवाया जा रहा है। पकड़े हुये दोनो व्यक्तियों से उनके द्वारा इस कृत्य के संबंध में और अधिक सख्ती से पूछताछ की गयी तो व्यक्ति सलीम उपरोक्त द्वारा बताया गया कि साहब गलती हो गयी है मैने एक मो0सा0 जाजमऊ के रहने वाले बाईक मिस्त्री वाजिद को बेंच दी है। यदि आप उसकी दुकान पर चलेंगें तो मिल सकता है। इस बात पर विश्वास कर मैं उ0नि0 मय हमराहियान के सलीम उपरोक्त के बताये हुये रास्ते पर चल दिये और जाजमऊ स्थित वाजिद मिस्त्री की दुकान पर पहुंचे तो सलीम उपरोक्त द्वारा बताया गया कि जो नीली टीशर्ट पहने हुये व्यक्ति मो०सा० के पास खड़ा है वही वाजिद है । जिस बात पर विश्वास कर मैं उ०नि० मय हमराहियान के सिखलाए हुये तरीके से उक्त व्यक्ति को आवश्यक बल प्रयोग करते हुये घेरघार कर पकड़ लिया गया जिसका नाम पता पूछते हुये व्यक्तिगत जमातलाशी मेमो तैयार करते हुये जामा तलाशी ली गयी तो अपना नाम वाजिद बेग पुत्र हामिद बेग निवासी म0न0 82/283 जाजमऊ मकदूम नगर, थाना जाजमऊ कानपुर नगर उम्र करीब 38 वर्ष बताया जिसकी जामा तलाशी ली गयी तो पहने हुये कपड़ों के अलावा अन्य कोई शय बरामद नही हुयी। मो०सा० के संबंध में पूछताछ की गयी व मो०सा० के प्रपत्र दिखाने हेतु कहा गया तो दिखाने में कासिर रहा। हिकमतअमली से पूछताछ की गयी तो बताया कि साहब यह गाड़ी सलीम ने चोरी की थी और मुझे बेंच बेंच दी थी और मैं इस मो०सा० को बेचने की फिराक में ले जाने के लिये खड़ा था कि आप लोगो ने पकड़ लिया। उक्त मो०सा० के नम्बर UP78D1796 को ई चालान एप्प पर सर्च किया गया तो उक्त मो०सा० का चेचिस नम्बर MBLHA10AWDHD85447 बाहन स्वामी सतेन्द्र कुमार पुत्र मुन्ना लाल पता प्राम व पोस्ट कर्बीगवां थाना नरबल कानपुर नगर प्राप्त हुआ। उक्त मो०सा० की जानकारी ई चालान एप्प पर की गयी किन्तु उक्त मो०सा० स्वामी का मो०न० अंकित नहीं है जिस कारण वाहन स्वामी से संपर्क नही हो सका है। सम्पर्क कर अकब से कार्यवाही की जाएगी। इस मो०सा० के संबंध में संबंधित थाने में सूचना दी गयी। उक्त कार्यवाही की बीडियो ई साक्ष्य एप्प पर बनाई गयी जिसका एसआईडी नं0 2433933766867618 समय 23.57 बजे प्राप्त हुआ कड़ाई

से पूछताछ करने पर पकड़े गये व्यक्तियों सलीम, बाजिद व सानू द्वारा एक स्वर में बताया गया कि साहब हमने अभी कुछ चोरी की हुयी मो०सा० नौबस्ता में सीओडी नाले के पास जंगल में बेचने के लिये छिपा रखी है और सीओडी नाला के पास कुछ मो०सा० बेचने हेतु खड़ी करके किदवई नगर से होते हुये स्कूटी से आ रहे थे कि आप लोगो में हमे पकड़ लिया था। प्रदि आप उस स्थान पर हमें ले चलेंगें तो आपको बरामद करवा सकते हैं। इस बात पर विश्वास कर के मैं उ0नि0 मय हमराहियान सलीम के बताए हुये रास्ते होते हुये नौबस्ता रामादेबी सड़क से वाहिनी ओर सीओडी नहर को जाने बाले कच्चे रास्ते पर चलकर आये तो जंगल में एक सूनसान जगह पेड़ के नीचे कुछ मो०सा० खड़ी हुयी हैं जिनको उक्त व्यक्तियो की निशांदेही पर बरामद किया गया जिनका विवरण ईचालान एप्प पर सर्च करने पर 01–पैशन प्रो ब्लैक MBLJAW173M9H02429, 04. हीरो होण्डा पैशन UP75C9414 चेचिस न0 01L21C22453, 05. प्लैटिना एफरैड UP77L4350 चेचिस न0 MD2A18AZ5DRL57229, 06, टीवीएस स्टार स्पोट्र्स UP78DM8974 चेचिस न० MD625MF58E1C29270, 07. होण्डा एक्टिवा स्कूटी सफेद UP78DY6529 चेचिस न0 ME4JF504FF7183188, 08. पैशन प्रो0 UP78FH0394 चेचिस न0 MBLHAR184J4E09317, 09. स्प्लैण्डर ब्लैक UP78HA5532 चेचिस न० MBLHAW12XM40914 प्राप्त हुआ है जिनके वाहन स्वामी एवं संबंधित थाने को आवश्यक कार्यवाही हेतु अकब से सूचित किया जाएगा। उक्त कार्यवाही की वीडियो ईसाक्ष्य एप्प पर बनायी गयी जिसकी एसआईडी न0 2446797766864122 समय 01.37 बजे प्राप्त हुआ है। जिनको जरिये उचित माध्यम थाना नौबस्ता पर भिजवाया जा रहा है। तत्पश्चात पकड़े गये व्यक्तियों को उनके द्वारा किये गये जुर्म से अवगत कराकर कारण गिरफ्तारी आधार बताते हुये समय 01.50 बजे गिरफ्तार किया गया । उक्त अभियुक्तों को न्यायालय के आदेश के क्रम में गिरफ्तारी के आधार से अवगत कराते हुये अन्तर्गत धारा 38 बीएनएसएस की नोटिस प्रदान की गयी। दौराने गिरफ्तारी मा० सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेश निर्देशो का पालन किया व कराया गया अभियुक्तगणो की गिरफ्तारी की सूचना अकल से उनके परिजनों को दी जायेगी। जामा तलाशी से प्राप्त रूपयों को अलग अलग अभियुक्तवार प्लास्टिक पारदर्शी डिब्बे में सील सर्वमुहर किया गया। फर्द मौके पर मुझ उ0नि0 द्वारा बोलबोल कर लैपटाप व मोबाईल की रोशनी में उ0नि0 सागर यादव से टाईप करा कर लिखायी गयी।

3. जमानत प्रार्थनापत्र संलग्न शपथपत्र में प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से यह कथन किया है कि अभियुक्त निर्दोष है, उसने अपनी निजी जानकारी में कोई भी गैर कानूनी कार्य अथवा चोरी व चोरी का माल खरीदने व बेंचने का अपराध कारित नहीं किया बल्कि पुलिस ने रंजिशन साजिश रचकर फर्जी तरीके से उपरोक्त मुकदमें में झूठा फँसाकर जेल भेज दिया है। अभियुक्त की नौबस्ता कानपुर नगर में कबाड़ की दुकान है। थाना नौबस्ता की पुलिस काफी समय से क्षेत्र में चोरी के अपराध में संलिप्त लोगो की मुखबरी का दबाव बना रही थी। बार–बार मुखबरी करने से मना करने के कारण उपरोक्त घटना में झूठी संलिप्तता दिखाते हुये मुकदमें में मुल्जिम बनाकार जेल भेज दिया। अभियुक्त अपने घर का अकेले कमाने वाला व्यक्ति है, उसके जेल में निरूद्ध रहने से उसका परिवार भुखमरी के कगार पर आ गया है। अभियुक्त को दिनांक 17.05.2026 की रात पुलिस घर से उठाकर थाने ले आयी, थाने में पहले से ही बन्द दो व्यक्तियों के साथ कथित घटना मे सम्मिलित बताते हुये किसी से फोन करके मोटर साईकिल के पाट्र्स मँगाकर उपरोक्त मुकदमें की घटना में संलिप्त दिखाते हुये मुल्जिम बना दिया। उपरोक्त मुकदमें की एफ०आई०आर० बिलम्ब से पंजीकृत है। मुकदमे में पुलिस द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त को पकड़ने का समय व वीडियो रिकार्डिंग का हवाला फर्द में नहीं है, जो घटना व बरामदगी को सन्देहास्पद बनाता है। मुकदमें की फर्द में वर्णित अपराध सं0–192/2026 अन्तर्गत धारा 317(2), 317 (5) बी०एन०एस०एस० व अपराध संख्या 193/2026 अन्तर्गत धारा 317 (2), 317 (5) बी०एन०एस०एस० व अपराध संख्या 194/2026 अन्तर्गत धारा 317 (2) बी०एन०एस०एस० में अवर न्यायालय स्पेशल सी० जे०एम० न्यायालय से जमानत पर है। मुकदमे का कोई स्वतन्त्र साक्षी नहीं है। अभियुक्त के पास से कोई भी नाजायज व चोरी की वस्तु की बरामदगी नहीं है, जो भी बरामदगी दर्शायी गयी है, पुलिस ने दर्शायी है। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नही है व जमानतीय है। अभियुक्त अपनी जमानतों का दुरुपयोग नहीं करेगा और न ही गवाहों परेशान करेगा व बराबर न्यायालय हाजिर आता रहेगा। अतः अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

4. विद्वान सहायक ज़िला शासकीय अधिवक्ता (फौज़दारी) द्वारा अभियुक्त के जमानत प्रार्थनापत्र का घोर विरोध करते हुये तर्क दिये गये हैं कि अभियुक्त शातिर अपराधी है उसके द्वारा अन्य अभियुक्तगणों के साथ मिलकर वाहनों की चोरी की गयी है। अभियुक्त से काफी मात्रा में चोरी किये गये वाहनों व उसके

पार्टस बरामद हुए है। यदि अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह पुनः चोरी करेगा और न्यायालय द्वारा दी गई जमानत की शर्तो का उल्लंघन करेगा, न्यायालय द्वारा तलब करने पर उपस्थित नहीं होगा, विचारण में सहयोग नहीं करेगा तथा पुनः अपराध कारित करेगा। प्रार्थी/अभियुक्त के जमानत प्रार्थनापत्र को निरस्त किया जाय।

5. अभियोजन व अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत तर्को के प्रकाश में, प्रपत्रों व समस्त केस डायरी का परिशीलन किया गया।

6. प्रस्तुत अभियोग में अभियुक्त पर अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर चोरी किये गये वाहनों को यह जानते हुए कि वह चुराई हुयी सम्पत्ति है, उसे अपने पास छिपाकर रखे जाने का अभियोग लगाया गया है।

7. प्रस्तुत अभियोग में फर्द बरामदगी के अनुसार अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम सूचना रिर्पोट दर्ज की गयी है। अभियुक्त के कब्जे जिन वाहनों के पार्टस की बरामदगी बतायी गयी है उनके सम्बन्ध में अभी तक उन्हे किसी मुकदमे से सम्बन्धित होने का कोई उल्लेख प्रस्तुत नहीं किया है। अभियोजन की ओर से इस मामले के अतिरिक्त अभियुक्त का अन्य तीन मामलों का आपराधिक इतिहास प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त के कथनानुसार उसकी सम्बन्धित मामलों में जमानत हो चुकी है। सह अभियुक्त की जमानत पूर्व में हो चुकी है। अभियुक्त दिनांक 18.5.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है।

8. अतः इस मामले के गुणदोष पर कोई राय व्यक्त न करते हुए प्रार्थी/ अभियुक्त की जमानत स्वीकार किए जाने का आधार पर्याप्त है, तद्नुसार जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त सानू द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा मुबलिग 50,000/–(पचास हजार रूपए) का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि की दो प्रतिभू संबंधित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि पर तथा इस आशय की अण्डरटेकिंग दाखिल करने पर रिहा किया जाता है कि–

(i) प्रार्थी/अभियुक्त प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे वह न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्य बताने से विमुख हो या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करे।

(ii) प्रार्थी/अभियुक्त अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/धमकाएगा।

(iii) प्रार्थी/अभियुक्त (i) मामले की शुरुआत, (ii) आरोप–निर्धारण और (iii) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर, व्यक्तिगत रूप से, विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

(iv) प्रार्थी/अभियुक्त इस आशय का एक वचनपत्र दाखिल करेगा कि जब गवाह विचारण न्यायालय में उपस्थित होंगे, तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथियों पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा।

(v) प्रार्थी/अभियुक्त प्रत्येक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।

(vi) प्रार्थी/अभियुक्त जमानत पर रिहा होने के बाद किसी भी आपराधिक गतिविधि या किसी भी अपराध में शामिल नहीं होगा।

(vii) प्रार्थी/अभियुक्त अपना स्थायी तथा अस्थायी पते का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा तथा पते में कोई भी परिवर्तन होने की दशा में न्यायालय को सुचित करेगा।

उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर विचारण न्यायालय को यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

कार्यालय लिपिक आदेश की एक प्रति जेल अधीक्षक, जिला कारागार, कानपुर नगर को जरिये ई–मेल इस निर्देश के साथ प्रेषित की जावे कि आदेश का इन्द्राज e-prison software पर करें और यदि सात दिन के अन्दर अभियुक्त रिहा नहीं होता है तो इसकी सूचना सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रदान करे। इसके अलावा यदि अभियुक्त आदेश पारित होने के एक माह तक रिहा नहीं होता है तो इसकी सूचना संबंधित न्यायालय, जिसके द्वारा आदेश पारित किया गया है, को अविलम्ब प्रेषित करें। जमानत आदेश की प्रति मूल पत्रावली/रिमाण्ड शीट पर रखी जाए।

दिनांकः10.06.2026

(विजय कुमार गुप्ता–I)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–8,
कानपुर नगर।

Digitally signed by VIJAY KUMAR GUPTA
Date: 2026.06.10 16:58:20 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court